आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक .... से .... तक

जिला – गिरिडीह .... संख्या .... 01 सन 2023-24

केश का प्रकार .... विविध

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
03.04.2022	आवेदक छोटन मिस्त्री पिता गुरुचरण बढ़ई, ग्राम + पोस्ट - पीनो थाना - डुमरी, जिला - गिरिडीह द्वारा आवेदन समर्पित कर मौजा - पीनो थाना सं 99 के अन्तर्गत खाता सं 08 प्लॉट सं 2367 रकबा 1.36 डी० एवं खाता सं 09 एवं अन्य प्लॉट सं 20 एवं अन्य रकबा 36 डी० एवं अन्य को ऑनलाईन दर्ज करने हेतु आवेदन दिया है। उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक को प्रस्तुत करें। 3/4/22 अंचल अधिकारी डुमरी	
06.04.22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पीनो के खाता सं 09 रैयति खाते की भूमि है जिसका सर्वे खतियान कारूमचंद बढ़ई एवं अन्य के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत के वंशज छोटन मिस्त्री पिता गुरुचरण बढ़ई साकिन पीनो के द्वारा आवेदन दिया है कि मौजा पीनो के अन्तर्गत खाता सं 09 प्लॉट सं 756, 757, 758, 759, 760, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755 रकबा 51 डी० में मौजा पीनो के निवासी वंशी पंडित, बिगुन पंडित, रोशनलाल पंडित, देवनारायण पंडित पिता गुजर पंडित के वंशजों द्वारा जबरन मेरा जमीन कब्जा कर लिया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत करें। 6/4/22 अंचल अधिकारी डुमरी	

11.04.2023 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। उभय पक्षों के द्वारा कागजात दाखिल किया गया। छोटन बढ़ई पिता गुरूचरण बढ़ई साकिन चीनी के द्वारा बताया गया कि यह मेरी खतियानी जमीन है और द्वितीय पक्ष बलजबरन उनकी जमीन को हड़प लिये है उनके द्वारा इस जमीन मे खेती - बाड़ी करायी जाती है, जब वे जमीन पर पढ़ना चाहते है तो द्वितीय पक्ष लाठी डंडा ले जाते है, उनका परिवार बड़ा है हमलोगो का परिवार छोटा है जिसके कारण हमलोगो को डराते धमकाते है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा कहा गया कि यह जमीन मे से 51 डी० जमीन हमलोगो के पूर्वज ने तत्कालीन जमीन्दार बाबु हरो नायक वल्द हरि नायक से तारीख मांग सुदी 09 सम्वत 1994 साल को हासिल है किया है और हमारे पूर्वज गुला कुम्हार वो बलदेव कुम्हार वल्द जागो कुम्हार के नाम से है जिसका लगान रसीद से संबंधित रजिस्टर ii की छायाप्रति इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो वर्ष 1959 - 60 के बाद संधारित है।

दोनो पक्षो के द्वारा दिया गया ब्यान एंव कागजातो के अवलोकन के पश्चात आदेश पारित कर दिया जायेगा। अभिलेख आदेशार्थ रखे।

[signature] 11/4/23
अंचल अधिकारी
डुमरी

आदेश

19.05.2023 आवेदक छोटन बढ़ई पिता स्व. गुरूचरण बढ़ई साकिन चीनो के द्वारा किशुन पंडित वगैरह पिता स्व. गुजर पंडित पर यह आरोप पूर्व में भी लगाया गया था जिसकी सुनवाई विविध वाद सं० 44/2003-04 में तत्कालीन अंचल अधिकारी ने किया था जिसमें 17.05.2004 को आदेश पारित किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसकी सुनवाई विविध वाद सं० 232/04-05 के द्वारा तत्कालीन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गिरिडीह के द्वारा की गयी और दिनांक 31.10.2007 को आवेदक का आवेदन खारिज कर किया गया। पुनः 16 वर्षो बाद यही आवेदन इस न्यायालय में दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। आवेदक इस न्यायालय को दिग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे है। आवेदक ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता महोदय के आदेश पर इस न्यायालय को [illegible] किया इसकी जानकारी नहीं दिया है।

आवेदक का यह आवेदन खारिज किया जाता है आवेदक इस संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

[signature] 19/5/23
अंचल अधिकारी
डुमरी

[signature] 19/5/23
अंचल अधिकारी
डुमरी

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2023.11.22 12:17:04 +05:30
Location: 192.168.101.2